SHRI KRISHNA AYUSH UNIVERSITY KURUKSHETRA
(Established by the State Legislature Act No. 25 of 2017)
Umri Road, Sector-8, Kurukshetra,Haryana-136118
Website:- www.skau.ac.in, **E-Mail-id:-**vc@skau.ac.in, coe@skau.ac.in

क्रमांक नं० /COE/392   दिनांक 04/08/2025

खुली नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस विश्वविद्यालय के द्वारा प्रयुक्त उत्तरपुस्तिकाऐं जिनका वजन लगभग 38 क्विंटल है की बिक्री हेतु खुली नीलामी दिनांक 12/08/2025 को सुबह 11:00 बजे परीक्षा शाखा में की जायेगी। नीलामी की नियम/शर्तें निम्न प्रकार से हैं:–

1. नीलामी जैसा है जहाँ है के आधार पर होगी।
2. नीलामी हेतु बोली में भाग लेने के लिए बोली दाता को रूपये 10000/–(दस हजार रूपये) अग्रिम सुरक्षा राशि के तौर पर नगद बोली लगाने से पूर्व जमा करानी होगी। यह राशि बोली समाप्त होने पर असफल बोली दाता को वापिस कर दी जायेगी।
3. सबसे उच्च बोली लगाने वाली फर्म/व्यक्ति के नाम नीलामी छोड़ी जायेगी तथा सफल बोली दाता को एक सप्ताह के अन्दर नीलामी की पूरी धनराशि जमा करवा कर रद्दी /सामग्री उठानी होगी।
4. यदि बोली दाता निर्धारित समय अवधि के अन्दर नीलामी की रद्दी/सामग्री का उठान नही करता है तो उसकी अग्रिम सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी तथा नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।
5. केवल उन्हीं व्यक्तियों को बोली में शामिल किया जायेगा जिनके पास वैध फोटो युक्त पहचान–पत्र (जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड) इत्यादि होगा।
6. किसी भी प्रकार का टैक्स खर्च या उठान खर्च सफल बोली दाता को स्वयं वहन करना होगा एवं बोली दाता के पास GST पंजीकरण सं० होना अनिवार्य है तथा लागू GST दर का भुगतान बोली दाता द्वारा किया जाएगा।
7. यदि बोली दाता अपनी जिम्मेदारियों पर खरा नही उतरता है तो उसे हमेशा के लिए प्रतिबन्धित सूचि (Black List) में डाल दिया जायेगा।
8. यदि नीलामी की कोई अन्य शर्त होगी तो उसे बोली स्थल पर ही सुनाया/बताया जायेगा।
9. कुलसचिव को किसी भी नीलामी को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार होगा।
10. सभी प्रकार के विवादों का निपटान का क्षेत्राधिकार कुरूक्षेत्र न्यायालय होगा।